



First ISO 9001:2000 certified  
Government organisation in Chhattisgarh

# छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी “चिप्स”

---

*चिप्स के विभिन्न भवनों की  
सुरक्षा, हाऊस कीपिंग एवं  
सफाई हेतु निविदा  
विवरणिका*

---

मूल्य रु. 200/-



First ISO 9001:2000 certified  
Government Organisation in Chhattisgarh

*dk ky; fpII*

द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, आर.डी.ए. भवन,

रायपुर 492001

दूरभाष 4066277 फ़ैक्स 4066205

www.chips.gov.in ; e mail- chips@nic.in

रायपुर, दिनांक 11/03/2010

क्रमांक- 169/मुकाअ/वित्त/2010

*fpII ds Houkadh l j{W} gkÅI dlfia , oal QlbZdh l okvlgrrq  
vYi kol/k fufonk vleæ. k*

चिप्स के विभिन्न भवनों एवं परिसरों की सुरक्षा, हाऊस कीपिंग एवं सफाई की सेवाओं हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें प्रपत्र एवं अन्य जानकारी चिप्स की वेबसाईट [www.chips.gov.in](http://www.chips.gov.in) पर उपलब्ध है। जिसे सादे कागज पर प्रिंट कर आवेदन पत्र की पूर्ति की जा सकती है। इस भरे हुए निविदा पत्र को मुहरबंद कर उसके साथ रुपये 200.00 (रुपये दो सौ केवल) का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के नाम से संलग्न कर प्रस्ताव दिनांक 25/3/10 को दोपहर 3 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत शर्तों का अवलोकन इस कार्यालय में भी किया जा सकता है।

*ef; dk Zkyu vf/kdljh  
fpII*

*ed; frffk la*

1. निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाईट [www.chips.gov.in](http://www.chips.gov.in) से डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि – 25/3/10
2. मुहरबंद दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि– 25/3/10 को दोपहर 3 बजे तक
3. सुरक्षा निधि (लिफाफा–A) एवं फर्म की पात्रता की जानकारी (लिफाफा–B) के लिफाफे खोलने की तिथि – 25/3/10 को दोपहर 4 बजे
4. पात्र फर्म के वित्तीय प्रस्ताव के (लिफाफा–C) खोलने की तिथि– दिनांक 26/3/10 को दोपहर 12 बजे

*l adZdk irk*

*NRhl x<+bQWcd , M ck kVcd iekku l kl k Vh ½  
LFku& fpII dk kY;] vlg-Mr, - Hou] f}rh; ry] Cykll&ch  
jk ig 492 001  
Qku&0771&4066277] QDI &4066205*

## v/; k & d

### *fpII dsfofHlu Houkadh I gj{kk, oal QkbZgrqfufonk 'krj*

फर्म द्वारा योग्य एवं कुशल कार्यकर्ताओं (जो चिप्स को मान्य हो) के माध्यम से चिप्स के क्रियाकलापों से संबंधित ये सेवाएं उपलब्ध कराई जावेगी।

#### 1- Lok dk Lo: i&

- (1.1) चिप्स के कार्यालय परिसरों में निर्देशानुसार भवनों एवं परिसरों की दिन रात (24 घंटे) अवकाश दिवसों सहित सुरक्षा करना।
- (1.2) इन परिसरों के अंदर कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकृत रूप से प्रवेश प्राप्त नागरिकों, मशीनों, उपकरणों, फर्नीचरों एवं सामग्रियों की सुरक्षा करना।
- (1.3) इन परिसरों में आने-जाने वाले व्यक्तियों, मशीनों, उपकरणों, फर्नीचरों सामग्रियों तथा वस्तुओं की दैनंदिनी रखना।
- (1.4) इन परिसरों की धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट, डकैती आदि से सुरक्षा बनाये रखना।
- (1.5) परिसरों में अनाधिकृत व्यक्तियों एवं सामग्रियों के प्रवेश को रोकना।
- (1.6) परिसरों में सद्भावना एवं शांति के आसन्न खतरे से सुरक्षा प्रदान करना।
- (1.7) आगन्तुकों को परिचय पत्र, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ देखकर उसके आधार पर प्रवेश देना और उसकी दैनंदिनी संधारित कर उसमें हस्ताक्षर प्राप्त करना।
- (1.8) चिप्स के कार्यालयों में अग्नि-शमन के लिये आवश्यकतानुसार यंत्र एवं व्यवस्थाएं करना तथा उन्हें उपयोगी बनाये रखना। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अग्निशामक यंत्र तथा अन्य अग्निशमन के उपायों का संस्थापन तथा संधारण निविदाकार को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- (1.9) चिप्स के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों में ऑफिस ब्वायज की सेवाएं उपलब्ध कराना, जो विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मियों के निर्देशानुरूप कार्य करेंगे।
- (1.10) भवन, बाथरूम, टाईलेट्स, सीढ़ियों, फर्नीचर, मशीन एवं उपकरणों की सफाई करना एवं उन्हें व्यवस्थित बनाये रखना।

- (1.11) भवन में सफाई हेतु उपकरणों/ सामग्रियों की उपलब्धि व्यवस्थित बनाये रखना।
- (1.12) विभिन्न भवनों में स्थित कक्ष/हाल, फर्श, आंगन की सफाई/पौछाई, दीवारें एवं उसमें लगे जालों आदि की सफाई, सोफे, उपकरणों, टेबलों, कुर्सियों, आलमारियों, रेक्स, रोशनदान, खिड़कियों, कांच व परिसर में रखे डस्टबिनों की नियमित सफाई करना होगी। विभिन्न उपकरणों एवं कांच की कोलीन या अन्य समान लिक्विड से करना होगी।
- (1.13) विभिन्न भवनों स्थित टाईलेट्स की सफाई एवं धुलाई कर फिनायल लिक्विड का छिड़काव करना होगा। टाईलेट्स में फिनायल एवं ओडोनिल आदि की गोलियां, डालना होगी। टायलेट की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस में आधे दिन के अन्तराल पर करना होगा।
- (1.14) विभिन्न भवनों स्थित थूकदानों, नालियों आदि में आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पावडर छिड़कना होगा तथा थूकदानों की रेत, प्रतिदिन बदलना होगा। टायलेट्स/ बाहर की नाली, परिसर की सड़कें, खुले स्थान का कचरा, आदि साफ करना होगा।
- (1.15) प्रत्येक रविवार को चिप्स के विभिन्न भवनों में स्थित तलों/फ्लोर्स, रेम्प, सीढ़ियों की धुलाई करनी होगी।
- (1.16) उपरोक्त कार्यों हेतु सफाई उपकरणों/ सामग्रियों की व्यवस्था निविदाकार को करना होगी तथा सामग्री की गुणवत्ता की जांच प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि से कराना होगी।
- (1.17) द्वितीय पक्ष को सफाई कार्य प्रतिदिन (अवकाश दिनों सहित) प्रातः 7.00 बजे से 9.30 बजे के मध्य करना होगा।
- (1.18) कार्य में प्राप्त कचरा, रद्दी, पुराने समाचार पत्र आदि प्रथम पक्ष की सम्पत्ति होगी एवं इनका विक्रय/व्यवसायिक उपयोग द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
- (1.19) कार्य में निकले कचरे का निष्पादन प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- (1.20) ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये कार्मिक प्रतिदिन निर्धारित वर्दी पहन कर आयेंगे। इस वर्दी का प्रदाय चिप्स द्वारा नहीं किया जायेगा।
- (1.21) चिप्स द्वारा की गई सेवा से संबंधित शिकायत को निविदाकार द्वारा त्वरित निराकरण करना होगा।
- (1.22) कार्य व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन का अधिकार चिप्स के प्रतिनिधि को होगा।
- (1.23) निविदाकर्त्ता द्वारा नियोजित ऐसे कर्मचारी जो अयोग्य हों अथवा जिसका आचरण कार्य में नियोजित रखने योग्य न हो, को हटाने का अधिकार चिप्स को होगा एवं उस निर्णय को तत्काल प्रभाव से पालन करने हेतु निविदाकर्त्ता बंधनकारी होगा।

- (1.24) कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के संबंध में निविदाकार को सम्पूर्ण जानकारी यथा—नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी एवं वर्तमान निवास के पते, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र प्रमाण—पत्र, पहचान एवं फोटो, उनके कार्य करने की तिथियों की जानकारी रखना होगा एवं चिप्स द्वारा चाहने पर प्रस्तुत करना होगा। यदि शासन के नियमानुसार उनका पुलिस सत्यापन किया जाना है तो वह भी निविदाकार को करना होगा।
- (1.25) निविदाकार को योग्य एवं कुशल कर्मियों की उपलब्धता, नियंत्रण एवं दैनिक रूप से पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना होगा।
- (1.26) निविदाकार को कर्मियों के प्रति शासन के विभिन्न नियमों अनुसार सभी दायित्वों का निर्वाह करना होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष की कोई देयताएं या जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (1.27) निविदाकार को राज्य में लागू कानून के अनुरूप द्वितीय पक्ष को मानव संसाधन के समस्त स्वत्वों/सुविधाओं की प्रदायगी एवं निराकरण करना होगा। इसके लिये चिप्स की कोई देयताएं या जिम्मेदारी नहीं होगी।

## 2. QeZdh ik=rk

- (2.1) फर्म को छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व—प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
- (2.2) फर्म को सर्विस टैक्स नियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसके लिये उन्हें सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व—प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
- (2.3) फर्म का आय कर में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पैन कार्ड की स्व—प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
- (2.4) फर्म को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व—प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
- (2.5) फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व—प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
- (2.6) फर्म का विगत तीन वर्ष 2006–07, 07–08, 08–09 में वार्षिक टर्न—ओवर कम से कम 50 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिये। इसके लिये उन्हें सी ए ऑडिट रिपोर्ट की फोटो प्रति जो सी ए द्वारा प्रमाणित होगी, देना होगा।
- (2.7) फर्म द्वारा 3 साल के आय कर रिटर्न की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाए।

(2.7) फर्म को 5 साल का शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थापनाओं के सुरक्षा, सफाई एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दायित्व के कुशल निर्वहन का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित संस्थान/ संस्थानों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

### 3 Lok ink xh l xalk t kudkj l&

(3.1) निविदाकार को निम्नलिखित दो स्थानों हेतु 24 घंटे के लिए हथियाररहित सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगा—

- (अ) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित कार्यालय
- (ब) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित एस एच क्यू भवन

(3.2) निविदाकार को निम्नलिखित अनुसार कर्मी उपलब्ध कराना होंगे—

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | सुरक्षा कर्मी         | 6 |
| 2. | ऑफिस ब्वायज           | 7 |
| 3. | पार्ट टाईम सफाई कर्मी | 6 |

यह संख्या अनुमानित है, जिसे कम किया या बढ़ाया जा सकता है।

(3.3) निविदाकार द्वारा सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिये। वे शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों या अर्द्ध सैन्य कर्मियों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट दी जा सकती है।

(3.4) निविदाकार द्वारा सुरक्षा गार्ड तथा ऑफिस ब्वाय सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति कम से कम 10 वीं स्तर तक शिक्षित होना चाहिए।

(3.5) निविदाकार द्वारा सफाई का कार्य निम्नलिखित परिसरों में किया जायेगा—

- (अ) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित कार्यालय एवं एस एच क्यू भवन परिसर
- (ब) मंत्रालय स्थित सर्वर रुम परिसर

(3.6) निविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों का कार्य चिप्स के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा। कार्यालय अवधि अथवा उसके बाद इनकी सेवाओं का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जावेगा।

4 gku dh n'kk ea ft lankjh l& सुरक्षा चूक (मानवीय लापरवाही से हुई अग्नि दुर्घटना, चोरी, डकैती आदि) की दशा में होने वाली हानि की राशि की वसूली पूर्णतः सिक्यूरिटी फर्म से की जावेगी।

5- *dk ZfujLrhjdj. k %* चिप्स की आवश्यकताओं, तार्किक दृष्टिकोण से अथवा पर्याप्त स्तर के अनुकूल मानव संसाधन/ सेवाएं नहीं प्राप्त होने स्थिति में तीन दिवसीय नोटिस सुधार हेतु दी जावेगी। अपेक्षित सुधार नहीं होने की दशा में अनुबंधित कार्य को निरस्त किया जा सकेगा।

6- *t ekur jk'k %* फर्म द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक से 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि काटकर बैंक में जमा की जावेगी तथा संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पूर्णता के उपरांत ब्याज रहित वापस की जा सकेगी।

7- *vuZV euh %* निविदा प्रपत्र जमा करने के साथ ही रू. 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी।

8. राज्य में लागू कानून के अनुरूप फर्म को मानव संसाधन के समस्त स्वत्वों/ सुविधाओं की प्रदायगी एवं निराकरण करना होगा। इस पर चिप्स का कोई दायित्व नहीं होगा।

9. आशय पत्र प्रस्तुति के साथ समस्त आवश्यक क्लीयरेंसेस, सर्टिफिकेट्स एवं अनुमतियां आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. प्रत्येक निविदाकर्ता को तीन पृथक-पृथक लिफाफे में सील बंद कर नीचे दर्शाई जानकारी रखना होगी तथा इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में जिस पर *I gj{lk , oa I QkbZgrqfufonk 2010&13* अंकित हो तथा उस पर फर्म का नाम, पते का स्पष्ट उल्लेख हो, सीलबंद कर नियत तिथि तक समय पर चिप्स कार्यालय में जमा करेंगे। उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगे :-

- 1- लिफाफा "A" सुरक्षा निधि से संबंधित प्रारूप परिशिष्ट "अ" में
- 2- लिफाफा "B" फर्म की पात्रता के संबंध में प्रारूप परिशिष्ट "ब" में
- 3- लिफाफा "C" सेवाओं की दरों से संबंधित प्रारूप परिशिष्ट "स" में

प्रथमतः लिफाफा "A" खोला जावेगा। नियमानुसार सुरक्षा निधि का ड्राफ्ट होने पर ही लिफाफा "B" खोला जावेगा यदि समिति द्वारा फर्म की पात्र पाई जाती है तो उस फर्म का लिफाफा "C" खोला जायेगा।

11. निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक 25/3/10 को दोपहर 3.00 बजे तक चिप्स कार्यालय, आर.डी.ए. भवन, रियपुर के आवक कक्ष में जमा करना होगा। यह निविदा दिनांक 25/3/10 को सांयकाल 4 बजे निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। इसमें निविदाकर्ता फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। इस दिन निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा A एवं B खोले जायेगे।

12. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा B अनुसार यदि फर्म पात्र पाई जाती है तो उनके लिफाफे दिनांक 26/3/10 को दोपहर 12 बजे चिप्स कार्यालय, आर.डी.ए. भवन, रायपुर में खोले जायेंगे।
13. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकार को चिप्स, रायपुर से नान-जुडिशियल स्टॉप पर अनुबंध/करारनामा करना होगा, जिसके लिए आवश्यक स्टॉप पेपर की राशि रु. 50.00 (रूपये पचास मात्र) निविदाकर्ता (टेकेदार) को वहन करना होगा।
14. यदि निविदाकर्ता ने कार्यादेश जारी करने के उपरान्त नियत तिथि तक अनुबंध निष्पादित नहीं किया तो उनकी अर्नेस्ट मनी राजसात (जब्त) कर ली जावेगी।
15. निविदाकारों की योग दरों के आधार पर दरों की तुलना की जायेगी। परन्तु अतिरिक्त रूप से कोई सेवा ली जाती है तो उसकी दरें दर्शाई गई दरों के आधार पर देय होगी।
16. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।



v/; k & x

*QeZdh ik=rk ds l xak es i k#i ifj'kV ^c\*\**

*fyQkQk Øekal "B"*

*QeZdh ik=rk ds l xak est kudkj h*

<i>da</i>	<i>fooj. k</i>	<i>l g/kud dækal</i>
1	फर्म की छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
2	फर्म की सर्विस टैक्स नियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
3	फर्म का आय कर पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
4	फर्म की कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
5	फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।	
6	फर्म का विगत तीन वर्ष 2006-07, 07-08, 08-09 के सी ए ऑडिट रिपोर्ट की फोटो प्रति जो सी ए द्वारा प्रमाणित होना है	
7	फर्म को 5 साल का शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थापनाओं में सुरक्षा, सफाई एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र	
8	विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न	
9	विस्तृत निविदा प्रस्ताव <i>v/; k &amp; d</i> के प्रत्येक पृष्ठ की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें	

*fufonkdrkZ ds gLrk/kj &&&&&&&*

स्थान \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

दिनांक / /

फर्म (सील) \_\_\_\_\_

v/; k & ?k  
l okvladh njla l sl ad/kr ik#i ifj'KV M \*\*  
fyQkQk Øekd "C"  
l okvladh iZrkfor njla  
½d½ekuo l d kku grq

<i>fooj. k</i>	<i>l g{kk delZ</i>	<i>vWQI lok t</i>
दर प्रति कर्मी (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)		
ई पी एफ की देय राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)		
ई एस आय की देय राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)		
रिटेनर चार्जस की राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)		
निविदाकर्त्ता की राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)		
सर्विस टैक्स की राशि		
<i>; lx</i>		

¼k½l QlbZdk Zgrq

<i>fooj. k</i>	<i>i kZVibZ l QlbZdelZ</i>
दर प्रति कर्मी (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)	
ई पी एफ की देय राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)	
ई एस आय की देय राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)	
सामग्री की राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)	
निविदाकर्त्ता की राशि (प्रति व्यक्ति / प्रतिमाह)	
सर्विस टैक्स की राशि	
योग	

*ukV& vāre #i l s fufonkdrkZdk p; u in okj U wre njla ds vkWj ij  
fd; k t k; xA ; fn l eLr dk; k ds fy, i Fkd&i Fkd fufonkdrkZka dh njla  
U wre glxh rks dk; ZHh vyx& vyx QelW dks fn; k t k; xA*

*njla 'kkl dh; njla @ dyDVj } jk Lokdr nj ds vkWj ij Hjh t k; A*

*fufonkdrkZ ds gLrkWj &&&&&&&*

स्थान \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

दिनांक / /

फर्म (सील) \_\_\_\_\_